

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ :: दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय:- बाढ़ की आपदा से निपटने हेतु नाव एवं मोटर बोट के अंतर्जनपदीय प्रबंध के संबंध में।

महोदय,

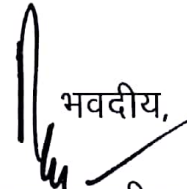
वर्तमान में प्रदेश की कई जनपद बाढ़ की विभीषिका से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों को मोटर मोटरबोट एवं नाव के प्रबंध में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के समाधान हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध मोटर बोट एवं नाव तथा जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों की अद्यावधिक सूचना राहत आयुक्त संगठन की वेबसाइट-rahat.up.nic.in पर अपलोड की गयी है। उक्त सूची में उल्लिखित 07 जनपद- इलाहाबाद, उन्नाव, खीरी, हरदोई, देवरिया, चित्रकूट तथा हमीरपुर में पर्याप्त मात्रा में (Surplus) मोटर बोट एवं नाव उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आकस्मिक रूप में आपके द्वारा किया जा सकता है।

2- अतः उक्त सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में मोटर बोट अथवा नाव की अतिरिक्त आवश्यकता की दशा में अन्य जनपदों के जिलाधिकारी अथवा नोडल अधिकारी से सीधे समन्वय स्थापित कर बाढ़ आपदा से त्वरित राहत प्रदान करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। पत्राचार की एक प्रति तथा कृत कार्यवाही से राहत आयुक्त संगठन के फैंक्स सं०-0522-2238084 एवं ईमेल-rahat@nic.in पर भी अवगत कराया जाय।

3- मण्डलायुक्तों का यह दायित्व होगा कि वह भी उपर्युक्त व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें तथा यदि मण्डल के भीतर एक जिले में मोटर बोट अथवा नाव Surplus है तो उसे मण्डल के दूसरे जिले में मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

उपर्युक्त प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।



(डा० रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या एवं दिनांक : तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवीदास)

विशेष सचिव।